

भारत में वन्यजीव संरक्षण का पुनःक्रमण

यह संपादकीय 04/10/2024 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “[Elephant in the room](#)” पर आधारित है। यह लेख भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में असमानता को प्रदर्शित करता है, जहाँ बाघों जैसी प्रजातियों में प्रगति देखी गई है, जबकि हाथियों को उपेक्षा और उनकी संख्या में कमी देखी गई है। यह पर्यावास ह्रास और मानव-पशु संघर्षों को संबोधित करने के लिये अधिक पारदर्शी, वजिज्ञान-आधारित उपागम की मांग करता है, विशेषकर हाथियों जैसी प्रजातियों के लिये।

प्रलिमिस के लिये:

[भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयास, हाथी, मैंग्रोव पारस्थितिकी तंत्र, स्वदेश दर्शन योजना, नशि जिनजातिका पारंपरिक हॉर्नबिल संरक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, बायोटेक-कसिन कार्यक्रम, स्वदेश दर्शन योजना, ग्रीन इंडिया मशिन, CITES, जैवविविधता पर अभिसमय, रणथंभौर बाघ अभयारण्य, पश्चिमी घाट](#)

मेन्स के लिये:

भारत के लिये वन्यजीव संरक्षण का महत्त्व, भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों की प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक

[भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों](#) ने मशरति परिणाम प्रदर्शित किये हैं, जिसमें कुछ प्रजातियों को दूसरों की तुलना में अधिक ध्यान दिया गया है। वर्ष 2005 के संकट के बाद, [बाघ](#) की नगिरानी के तरीकों में सुधार हुआ है और बाघों की संख्या का अधिक सटीक अनुमान लगाया गया है। यद्यपि, [हाथी](#), एक अन्य प्रतष्ठित प्रजाति, पर तुलनात्मक रूप से अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। हाथियों की गणना के तरीकों में हाल ही में हुए परिवर्तन से उनकी संख्या में पर्याप्त कमी का पता चला है, परंतु सरकार ने कथित तौर पर इस महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिससे पारदर्शिता और संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रश्न उठ रहे हैं।

संरक्षण उपागमों में यह असमानता भारत की वन्यजीव प्रबंधन कार्यनीतियों में व्यापक मुद्दों को प्रकट करती है। हाथियों के पर्यावास पर मानवीय गतिविधियों का काफी प्रभाव पड़ा है, जिससे मानव-पशु संघर्ष में वृद्धि हुई है। प्रभावी संरक्षण योजना और इन संघर्षों को कम करने के लिये सटीक संख्या अनुमान तथा वितरण आँकड़ा आवश्यक हैं। वर्तमान स्थिति भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिये अधिक व्यापक, वजिज्ञान-आधारित उपागम की आवश्यकता को रेखांकित करती है, विशेष रूप से हाथियों जैसी प्रजातियों के लिये, जो तेजी से परिवर्तित होते परदृश्यों में मनुष्यों के साथ अपना पर्यावास साझा करते हैं।

WILDLIFE CONSERVATION INITIATIVES

Constitutional Provisions for Wildlife

42nd Amendment

Act, 1976: Forests & Protection of Wild Animals and Birds (moved from State to Concurrent List)

Article

48 A: State shall endeavor to protect & improve environment and safeguard forests and wildlife of country

Article

51 A (g): Fundamental duty to protect & improve natural environment including forests and Wildlife

Legal Frameworks

Wildlife (Protection) Act, 1972

Biological Diversity Act, 2002

Major Conservation Initiatives

Integrated Development of Wildlife Habitats (IDWH):

- ⌚ Financial assistance provided to State/UT Governments for protection and conservation of wildlife
- ⌚ A Centrally Sponsored Scheme

National Wildlife Action Plan (2017-2031)

Guidelines for Eco-tourism in Protected Areas

Human-Wildlife Conflict Mitigation

Wildlife Crime Control Bureau: To combat wildlife-related crimes

Wildlife Division (MoEFCC):

- ⌚ Policy and law for conservation of biodiversity and Protected Area network
- ⌚ Technical and financial support to the State/ UTs under IDHW, Central Zoo Authority and Wildlife Institute of India

Wildlife Crime Control Bureau (WCCB):

Collection, collation of intelligence & its dissemination, establishment of centralized Wild Life crime databank, coordination etc.

Wildlife Crime Control:

- ⌚ Operation Save Kurma
- ⌚ Operation Thunderbird

Species-Specific Initiatives

- Protection and conservation of Greater Adjutant in Gangetic riverine tract
- Dolphin Conservation in Non-Protected Area Segment of Ganga River
- Conservation Breeding Centre for Wild water buffalo (2020)
- Recovery programme for Snow leopard (2009)
- Recovery programme for Vultures (2006)
- Project Elephant (1992)
- Project Tiger/National Tiger Conservation Authority (NTCA) (1973)

India's Collaboration with Global Wildlife Conservation Efforts

- ⌚ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
- ⌚ Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)
- ⌚ Convention on Biological Diversity (CBD)
- ⌚ World Heritage Convention
- ⌚ Ramsar Convention
- ⌚ The Wildlife Trade Monitoring Network (TRAFFIC)
- ⌚ United Nations Forum on Forests (UNFF)
- ⌚ International Whaling Commission (IWC)
- ⌚ International Union for Conservation of Nature (IUCN)
- ⌚ Global Tiger Forum (GTF)



Drishti IAS

भारत के लिये वन्यजीव संरक्षण का क्या महत्त्व है?

- **जैवविविधता संरक्षण और पारस्थितिकी तंत्र स्थिरता:** विश्व के 17 महाविविधता वाले देशों में से एक भारत में वैश्विक भूमिक्षेत्र के मात्र 2.4% भाग में विश्व की ज्ञात जैवविविधता का लगभग 8% वदियमान है।
 - यह **समृद्ध जैव विविधता पारस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को संधारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है**, जो मानव अस्तित्व के लिये महत्वपूर्ण है।
 - उदाहरण के लिये, **भारत के समुद्र तटों के किनारे मैंग्रोव पारस्थितिकी तंत्र**, जो विविध प्रजातियों का निवास स्थान है, चक्रवातों और सुनामी के वसुद्धि प्राकृतिक अवरोध प्रदान करता है।
 - भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा 2021 के अध्ययन में बताया गया है **कसुंदरबन में मैंग्रोव ने वर्ष 2020 में चक्रवात अम्फान के प्रभाव को कम किया**, जिससे लाखों लोगों की रक्षा हुई।
 - इसके अतिरिक्त, भारत के वन, जो भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 21.71% क्षेत्र को आच्छादित करते हैं (भारतीय वन सर्वेक्षण, 2021), **कार्बन सिक के रूप में कार्य करते हैं, जो लगभग 7,124.6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य को अवशोषित करते हैं।**
- **संवहनीय पर्यटन के माध्यम से आर्थिक लाभ:** वन्यजीव संरक्षण, इकोटूरज्म के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
 - भारत में वन्यजीव पर्यटन की मांग वर्ष 2034 तक 7.40% CAGR की दर से बढ़ने का अनुमान है।
 - **चयनित बाघ रजिस्ट्रारों** से प्राप्त प्रवाह लाभ का मौद्रिक मूल्य प्रतिवर्ष 8.3 से 17.6 बिलियन तक है।
 - उदाहरण के लिये, **मध्य प्रदेश, जिसे 'टाइगर स्टेट' के नाम से जाना जाता है, में आने वाले पर्यटन में 30-40% की वृद्धि होने का अनुमान है**, जिसका मुख्य कारण वहाँ का वन्यजीव आकर्षण है।
 - इसके अतिरिक्त, **सुवर्देश दर्शन योजना** जैसी सरकार की पहलों ने वन्यजीव पर्यटन को प्रोत्साहित किया है, स्थानीय रोजगार का सृजन किया है और संरक्षण प्रयासों को समर्थन दिया है।
- **पारंपरिक ज्ञान संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत:** भारत में वन्यजीव संरक्षण आंतरिक रूप से पारंपरिक पारस्थितिकी ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित है।
 - कई स्थानीय समुदायों, जैसे **राजस्थान के बश्नोई या अरुणाचल प्रदेश की नशि जनजात**, की संस्कृति में लंबे समय से संरक्षण संबंधी प्रथाएँ अंतर्निहित हैं।
 - उदाहरण के लिये, **नशि जनजात का पारंपरिक हॉर्नबिल संरक्षण** संबंधी प्रथाएँ इस प्रजाति की सुरक्षा में सहायक रही हैं।
- **जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन:** जलवायु परिवर्तन से निपटने के भारत के प्रयासों में वन्यजीव संरक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 - स्वस्थ पारस्थितिकी तंत्र चरम मौसम की घटनाओं के वसुद्धि प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं तथा कार्बन अवशोषण में सहायता करते हैं।
 - उदाहरण के लिये, **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत भारत की वर्ष 2030 तक 2.5-3 बिलियन टन CO2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिक बनाने की प्रतिबद्धता**, वन और वन्यजीव संरक्षण पर बहुत अधिक निर्भर करती है।
 - **गरीन इंडिया मिशन** जैसी हालिया पहल, जिसका लक्ष्य 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र की वृद्धि करना है, इस संबंध के प्रति सरकार की मान्यता को प्रदर्शित करती है।
 - इसके अतिरिक्त, जैव विविधता का संरक्षण जलवायु परिवर्तन के प्रति पारस्थितिकी तंत्र की समुत्थानशीलता को संवर्धित करता है।
 - वर्ष 2015 के एक अध्ययन में कहा गया है **कजिनि क्षेत्रों में प्रजातियों की विविधता अधिक है, वे जलवायु परिवर्तनों के प्रति अधिक समुत्थानशील हैं**, जिससे जलवायु अनुकूलन कार्यानीतियों में संरक्षण के महत्व पर बल दिया गया है।
- **जल सुरक्षा और जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण:** वन्यजीव पर्यावास, विशेषकर वन, जलग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा और जल प्रवाह को वनियमित करके भारत की जल सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - गुरुग्राम में अरावली जैवविविधता उद्यान को वर्ष 2022 में भारत के पहले "अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय" स्थल के रूप में हाल ही में मान्यता दी गई है, जो शहरी जैवविविधता संरक्षण और जल सुरक्षा के बीच संबंध के विषय में बढ़ती जागरूकता को प्रकट करता है, क्योंकि यह **जल-संकटग्रस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूजल के पुनर्भरण में सहायता करता है।**
- **औषध और जैव प्रौद्योगिकी क्षमता:** भारत की समृद्ध जैव विविधता में औषध और जैव प्रौद्योगिकी खोजों की अपार संभावनाएँ हैं।
 - देश का वन्यजीव अनेक औषधीय योगिकों का स्रोत रहा है, जिसमें पारंपरिक ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
 - उदाहरण के लिये, **भारतीय मोनोकलड कोबरा के विष से निर्मित एक नवीन सृजनरोधी दवा** का विकास इस क्षमता को प्रदर्शित करता है।
 - इसके अतिरिक्त, **सरकार के बायोटेक-किसान कार्यक्रम** का उद्देश्य भारतीय जैव प्रौद्योगिकी को संरक्षण और ग्रामीण विकास से जोड़ना है तथा जैवविविधता संरक्षण के आर्थिक महत्व पर बल देना है।
- **अंतरराष्ट्रीय राजनय:** भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयास इसकी सॉफ्ट पावर और अंतरराष्ट्रीय राजनय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
 - **ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम** जैसी पहलों के माध्यम से बाघ संरक्षण में देश के नेतृत्व ने इसकी वैश्विक पर्यावरणीय स्थितिको संवर्धित किया है।
 - वर्ष 2018 की बाघ गणना में बाघों की संख्या में वृद्धि देखी गई। भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणापत्र के निर्धारित समय से 4 वर्ष पहले ही बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।
 - इसके अतिरिक्त, **CITES और जैवविविधता पर अभिसमय (CBD)** जैसी वैश्विक संरक्षण संधियों में भारत की सक्रिय भागीदारी अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण वार्ता में इसकी स्थिति को सुदृढ़ करती है।
 - "द एलीफेंट व्हिसपेरर्स", जिसे वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंटरी शॉर्ट के लिये ऑस्कर दिया गया है, भारतीय समुदायों और वन्यजीवों के बीच गहन संबंध को प्रकट करता है।

भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों की प्रभावशीलता में कौन से कारक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं?

- वन्यजीव कानूनों का अपर्याप्त कार्यन्वयन: यद्यपि भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए सुदृढ़ कानून हैं, फिर भी उनका कार्यन्वयन प्रायः अपर्याप्त रहता है।
- वर्ष 2014 से वर्ष 2021 के बीच **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो** ने 717 संयुक्त अभियान चलाए, जिसके परिणामस्वरूप 1488 वन्यजीव अपराधियों को हिरासत में लिया गया, परंतु दोषसिद्धि की गति बहुत धीमी रही।
 - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, संशोधनों के बावजूद, वन विभाग कम कर्मचारियों तथा प्रवर्तन कर्मियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण प्रभावी प्रवर्तन के लिये संघर्ष करता है।
 - फोरेंसिक सुविधाओं की कमी, न्यायिक प्रक्रियाओं में विलंब और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अपर्याप्त समन्वय वन्यजीव कानूनों के कार्यान्वयन को और कमजोर करते हैं।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन भारत के वन्य जीवन के लिये एक बड़ा खतरा बन गया है, फिर भी संरक्षण कार्यानीतियाँ प्रायः इस चुनौती से निपटने में विफल रहती हैं।
- वर्द्धित तापमान और प्रवर्तित होते वर्षा प्रारूप के कारण पर्यावास और प्रवास प्रारूप में परिवर्तन आ रहा है।
 - चरम मौसम के कारण वर्ष 2050 तक **पश्चिमी घाट** की लगभग **33% जैव विविधता नष्ट हो जाएगी**।
 - यह अपरिवर्तनीय है। इस परिवर्तन के तहत, वन सदाबहार से पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती में परिवर्तित हो जाएंगे।
 - बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थिति विशाल मैंग्रोव डेल्टा, **सुंदरवन में पछिले दो दशकों में समुद्र का स्तर औसतन 3 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बढ़ गया है**, जिसके कारण **वर्ष में तटीय अपरदन की दर सबसे तीव्र हो गई है**।
 - इन भयावह भविष्यवाणियों के बावजूद, **वन्यजीव संरक्षण में जलवायु अनुकूलन कार्यानीतियाँ अवकिसति और अपर्याप्त वित्तपोषित बनी हुई हैं** तथा केवल कुछ संरक्षित क्षेत्रों में ही जलवायु कार्य योजनाएँ हैं।
- सामुदायिक भागीदारी और सतत आजीविका विकल्पों का अभाव:** संरक्षण प्रयासों में प्रायः संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

- इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस संबंधी पहलों के कारण कभी-कभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों में कमी आ जाती है।
- उदाहरण के लिये, [पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020](#) का उद्देश्य सार्वजनिक परामर्श अवधि को कम करना और कुछ परियोजनाओं को जांच से छूट देना था, जो संभावित रूप से वन्यजीव पर्यावासों को प्रभावित कर सकती थीं।
- इसी प्रकार, [आधारिक संरचना के विकास के लिये पर्यास](#), हालाँकि आवश्यक है, कभी-कभी वन्यजीवन की मूल्य पर कथित जाता है।
 - [ग्रेट इंडियन बस्टरड](#) का मामला, जहाँ इसके पर्यावास में बजिली लाइनों ने इसकी संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट में योगदान दिया है, यह प्रदर्शित करता है कि कैसे अच्छी मंशा से कथित गया विकास भी, यदि उचित रूप से योजनाबद्ध न हो, तो संरक्षण पर्यासों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

भारत में वन्यजीव संरक्षण पर्यासों को पुनःकर्मित करने के लिये क्या उपाय अंगीकृत कथित जा सकते हैं?

- **नधियन और संसाधन आवंटन में वृद्धि:** वन्यजीव संरक्षण के लिये बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की जानी चाहिये। **भूटान के सफल भूटान फॉर लाइफ फंड** की तरह **ग्रीन बॉन्ड और संरक्षण ट्रस्ट फंड जैसे अभिनव नधियन प्रणाली को कार्यान्वित कथित जाना चाहिये।**
 - संरक्षण परियोजनाओं के लिये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नधिके आवंटन को प्राथमिकता देना चाहिये।
 - **संरक्षण के लिये सार्वजनिक-नजि भागीदारी** स्थापित कथित जाना चाहिये, **सतपुड़ा लैंडस्केप टाइगर पार्टनरशिप** जैसे मॉडलों का अनुसरण करना चाहिये, जसिने मध्य भारत में सफलता का प्रदर्शन कथित है।
 - उन्नत संरक्षण प्रौद्योगिकियों, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संचालित अवैध शिकार वरिधी प्रणालियाँ और पर्यावास नगिरानी के लिये सुदूर संवेदन, के विकास और कार्यान्वयन में सहायता के लिये एक समर्पित **वन्यजीव प्रौद्योगिकी कोष का नरिमाण करना चाहिये।**
- **व्यापक मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन कार्यानीतियों का कार्यान्वयन:** स्थानीय पारस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक संदर्भों पर वचिर करते हुए राज्य-वशिषिट मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) शमन योजनाओं को वकिसति और कार्यान्वित करना चाहिये।
 - **तमलिनाडु के वलपराई में SMS-आधारित चेतावनी प्रणाली** जैसी पूर्व चेतावनी प्रणालियों के उपयोग का वसितार करना चाहिये, जसिसे मानव-हाथी संघर्ष में कमी आई है।
 - **सौर ऊर्जा चालित बाड़ और जैव-बाड़ जैसी भौतिक बाधाओं में नविश** में वृद्धि की जानी चाहिये।
 - **KVIC ने मधुमक्खी बाड़ बनाकर मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिये [प्रोजेक्ट री-हैब](#)** का शुभारंभ कथित, जसिसे हाथियों को मधुमक्खियों का उपयोग करके रोका जा सके।
 - यह नवीन, लागत प्रभावी वधिनिनुष्यों और हाथियों दोनों को होने वाले नुकसान से बचाती है तथा संघर्ष का स्थायी समाधान सुनिश्चित करती है।
- **पर्यावास संपर्क और गलियारे की पुनःप्राप्ति को प्राथमिकता:** देश भर में महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारों की पहचान, सुरक्षा और पुनःस्थापना के लिये राष्ट्रीय वन्यजीव गलियारा कार्यक्रम शुरू करना चाहिये।
 - **रैखिक अवसंरचना परियोजनाओं पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की वर्ष 2019** की रिपोर्ट की सफिरशों को कार्यान्वित करते हुए पशु गलियारों को पार करने वाली सभी नई परियोजनाओं में वन्यजीव मार्ग को अनविर्य करना चाहिये।
 - **नगालैंड में सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र** जैसी पहलों के माध्यम से गलियारा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करना चाहिये।
 - भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और वन्यजीव पदांकन ऑकड़ा का उपयोग नरितर नगिरानी और गलियारा प्रबंधन कार्यानीतियों को अनुकूलित करने के लिये कथित जाएगा, जैसा कि मध्य भारतीय परदृश्य में **भारतीय वन्यजीव संस्थान की गलियारा मानचित्रण परियोजना** द्वारा प्रदर्शित कथित गया है।
- **वन्यजीव वधिप्रवर्तन और अवैध शिकार वरिधी उपायों का सुदृढीकरण:** सभी बाघ अभयारण्यों में **M-STRIPES (बाघों की गहन सुरक्षा और पारस्थितिकी स्थिति के लिये नगिरानी प्रणाली)** के अनविर्य उपयोग को कार्यान्वित और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में इसके उपयोग का वसितार कथित जाना चाहिये।
 - नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रमाणन के माध्यम से वन कर्मचारियों की क्षमता नरिमाण में नविश कथित जाना चाहिये।
 - थर्मल इमेजिंग कैमरे और ध्वनिक जाल जैसी उन्नत शिकार-रोधी प्रौद्योगिकियों को कार्यान्वित कथित जाना चाहिये, जैसा कि **काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सफलतापूर्वक प्रयोग कथित गया है**, जसिसे गैंडों के अवैध शिकार में कमी आणी।
 - नियमित संयुक्त अभियान और सूचना साझाकरण के माध्यम से वन्यजीव अपराध पर अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ करना चाहिये।
- **संरक्षण योजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन का समेकन:** सभी प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों के लिये जलवायु-समेकित संरक्षण योजनाएं वकिसति की जा सकती हैं।
 - भूदृश्य समुत्थानशीलता में वृद्धि के लिये बफर क्षेत्रों और वन्यजीव गलियारों में जलवायु-स्मार्ट कृषि और कृषिवानिकी को संवर्द्धित कथित जाना चाहिये।
 - **भारतीय जैव वविधिता पोर्टल** जैसी नागरिक वजिज्ञान पहलों का लाभ उठाते हुए, वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना चाहिये।
- **सामुदायिक भागीदारी का संवर्द्धन:** उत्तराखंड की वन पंचायतों जैसे सफल समुदाय-आधारित संरक्षण मॉडल को संवर्द्धित कथित जा सकता है।
 - मध्य प्रदेश के पेंच बाघ अभयारण्य के मॉडल का अनुसरण करते हुए, स्थानीय समुदायों को सीधे लाभ पहुँचाने वाली इकोटूरज्म पहलों का वसितार कथित जाना चाहिये।
 - संरक्षण-संगत क्षेत्रों में वैकल्पिक आजीविका के लिये कौशल नरिमाण कार्यक्रम वकिसति कथित जा सकता है, जैसे कि ओडिशा में **CAMPA-** वतित पोषित कौशल पहल।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान और नगिरानी को प्रोत्साहन:** दीर्घकालिक पारस्थितिक अध्ययन और नवीन अनुसंधान को समर्थन देने के लिये एक समर्पित वन्यजीव अनुसंधान कोष की स्थापना की जानी चाहिये।
 - **मलेशिया के दानम वैली फील्ड सेंटर** के मॉडल का अनुसरण करते हुए प्रमुख जैववविधिता हॉटस्पॉट में क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों का

एक नेटवर्क का निर्माण करना चाहिये।

- अखिल भारतीय बाघ आकलन अभ्यास की सफलता के आधार पर, विभिन्न वर्गों और पारस्थितिकी प्रणालियों में मानकीकृत वन्यजीव निगरानी प्रोटोकॉल का एक समूह विकसित और कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

- पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रियाओं का संरेखन: सभी प्रमुख विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के लिये एक व्यापक कार्यनीति पर्यावरणीय मूल्यांकन (SEA) प्रणाली को कार्यान्वित किया जा सकता है।

- आधारिक संरचना की योजना के लिये प्रजाति-विशिष्ट संवेदनशीलता मानचित्रों का विकास और उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिये।
- पारस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिये संचयी प्रभाव मूल्यांकन की प्रणाली को कार्यान्वित किया जा सकता है।

नषिकर्षः

भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों पर तत्काल ध्यान देने और अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और विज्ञान-आधारित उपागमों की ओर स्थानांतरण की आवश्यकता है। नधियन अंतराल को संबोधित करके, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाकर और पर्यावास संरक्षण को प्राथमिकता देकर, देश अपनी समृद्ध जैवविविधता की रक्षा कर सकता है तथा वन्यजीवों और मानव आबादी के बीच स्थायी सह-अस्तित्व सुनिश्चित कर सकता है। प्रभावी संरक्षण के लिये एक ठोस प्रयास आवश्यक है जो हाथियों जैसी प्रमुख प्रजातियों और उनके पर्यावास की संवेदनशील पारस्थितिकी तंत्र दोनों की रक्षा करता है।

????? ???? ?????:

Q. भारत में वन्यजीव संरक्षण पहलों के समक्ष प्रस्तुत होने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। ये चुनौतियाँ वदियमान संरक्षण नीतियों की प्रभावशीलता को कैसे अवमूल्यित करती हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित् वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूची VI में रखा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है?

- (a) उस पौधे की खेती करने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता है।
- (b) ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती।
- (c) यह एक आनुवंशिकित: रूपांतरित फसली पौधा है।
- (d) ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारितंत्र के लिये हानिकारक होता है।

उत्तर: (a)

Q. निम्नलिखित में से कौन-से भौगोलिक क्षेत्र में जैवविविधता के लिये संकट हो सकते हैं?

1. वैश्विक तापन
2. आवास का वखिण्डन
3. वदिशी जातिका संक्रमण
4. शाकाहार को प्रोत्साहन

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही. उत्तर चुनिये :

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

?????:

Q. भारत में जैव विविधता किस प्रकार अलग अलग पाई जाती है? वनस्पतजात और प्राणजात के संरक्षण में जैवविविधता अधिनियम, 2002 किस प्रकार सहायक है? (2018)

